9/

संख्या- 58 /2025/307/नौ-9-2025-001-ई-1513206

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक** 28 **फरवरी, 2025**

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन शहर हेतु स्मार्ट रोड परियोजना की तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-128/2021/2467/नौ-9-2021-107ज/21, दिनांक 31.12.2021 द्वारा मथुरा-वृन्दावन शहर हेतु स्मार्ट रोड परियोजना कुल लागत धनराशि रू0 3035.19 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 303.519 लाख (रू0 तीन करोड़ तीन लाख इक्यावन हजार नौ सौ मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-4119/2021/4066/नौ-9-2021-107ज/21, दिनांक 15.11.2022 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 758.7975 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3292/106/SSCM/2021-22, दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृन्दावन शहर हेतु स्मार्ट रोड परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 3035.19 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष **तृतीय किश्त की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) रू0 1062.3165 लाख (रूपये दस करोड़ बासठ लाख इकतीस हजार छः सौ पचास मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, मथुरा-वृन्दावन को अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग **दिनांक 31 मार्च 2025** तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) शासनादेश संख्या-128/2021/2467/नौ-9-2021-107ज/21, दिनांक 31.12.2021 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

(4) कार्यदायी संस्था का सम्बंधित बैंक खाता सीज होने से उक्त परियोजना/कार्यों हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त की निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के उपरांत उक्त खाते में शेष धनराशि के सापेक्ष नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन द्वारा निकाय निधि/स्वयं के स्रोतों से अनुबधिंत फर्मों को भुगतान किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा बैंक खाते का पुन: संचालन होने पर उक्त धनराशि नियमानुसार संगत मद में समायोजित कर ली जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व की भांति संबंधित बैंक खाते के सीज़ होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1062.3165 लाख (रूपये दस करोड़ बासठ लाख इकतीस हजार छः सौ पचास मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Mohd.wasif
Date: 28-02-2025 12:07:39
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 58 /2025/307/नौ-9-2025-001-ई-1513206, तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि-</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
4. मण्डलायुक्त, आगरा।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन।
10. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, उ0प्र0।
11. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।